न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 49 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मानाराम पुत्र किरताराम
2. करनाराम पुत्र किरताराम
3. हुकमाराम पुत्र किरताराम
4. मोतीराम पुत्र किरताराम
5. मोटाराम पुत्र किरताराम
6. देराजराम पुत्र ताजाराम
7. भोपाराम पुत्र ताजाराम
8. बस्तीराम पुत्र धुडाराम
9. पुनमाराम पुत्र धुडाराम
10. नैनुदेवी पत्नी धुडाराम
11. कला गोद पुत्र मोडाराम
12. मेगसिंह पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी सांगाणा कुंआ तहसील व जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.रामाराम पुत्र पदमाराम
2.बालाराम पुत्र जेठाराम
3.पोकरराम पुत्र जेठाराम
4.श्रीमती मीरो पत्नी जेठाराम
जातियान जाट निवासीयान सांगाणा
कुआ तहसील व जिला बाड़मेर
5.तहसीलदार बाडमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 44 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मानाराम पुत्र किरताराम
2. करनाराम पुत्र किरताराम
3. हुकमाराम पुत्र किरताराम
4. मोतीराम पुत्र किरताराम
5. मोटाराम पुत्र किरताराम
6. देराजराम पुत्र ताजाराम
7. भोपाराम पुत्र ताजाराम
8. बस्तीराम पुत्र धुडाराम
9. पुनमाराम पुत्र धुडाराम
10. नैनुदेवी पत्नी धुडाराम
11. कला गोद पुत्र मोडाराम
12. मेगसिंह पुत्र गोमाराम जाति

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.रामाराम पुत्र पदमाराम
2.बालाराम पुत्र जेठाराम
3.पोकरराम पुत्र जेठाराम
4.श्रीमती मीरो पत्नी जेठाराम
जातियान जाट निवासीयान सांगाणा
कुआ तहसील व जिला बाड़मेर
5.तहसीलदार बाडमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाट निवासी सांगाणा कुंआ

तहसील व जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 125/2015 बअनवान रामाराम बनाम मानाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05.2016 व 27.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भगवानसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 14.10.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 (वादी) द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 01 एवं अपीलकर्तागण एवं उतरदातागण संख्या 02 से 05 एक ही परिवार देरामाराम के वंशज है तथा उनकी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 639 रकबा 01.03 बीघा, खसरा संख्या 640 रकबा 99.05 बीघा व खसरा संख्या 877 रकबा 117.04 बीघा के मौजा सांगाणा कुआ तहसील व जिला बाड़मेर में आये हुए है जिन खेतों में उतरदातागण संख्या 01 का 1/2 हिस्सा, शेष 1/2 हिस्सा अपीलकर्तागण व उतरदातागण संख्या 02 से 05 है। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त खेतों में अपना 1/2 हिस्सा अलग से घोषित करवाकर अपने हिस्से का बंटवाड़ा करवाना चाहता है, इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.05.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाड़मेर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव बहामी बंटवाड़े व कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को बिना कोई तारीख पेशी के बीच में लेकर कैम्प कोर्ट बेरीवाला तला में दिनांक 13.05.2016 को पेश हुई जिसकी सूचना/नोटिस अपीलांट को नहीं दिये गये तथा जिन पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुई। जबकि वास्तव में उक्त प्रकरण के नोटिस कभी भी अपीलकर्तागण पर व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुए है और न ही राजस्व लोक अदालत के नोटिस अपीलकर्ता पर व्यक्तिगत रूप से तामील हुए इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी नोटिसों की पुश्त पर गलत एवं फर्जी रूप से इबारत करते हुए नोटिस को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपीलांटगण को बिना किसी लोक अदातल में उपस्थिति का नोटिस तामील करवाये अपीलांटगण की अनुपस्थिति में उसी रोज अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.05.2016 की पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दोनों पक्षों की अनुपस्थित में पारित की गई जबकि वादी की अनुपस्थिति में हस्तगत वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज कर देना चाहिए था गुणावगुण पर निस्तारण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत घोषणा के वाद में किसी प्रकार की कोई तनकी कायम नहीं की गई जबकि घोषणा के वाद में न्यायालय को तनकी कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात को प्रदर्श भी नहीं किया गया जबकि दस्तावेजात प्रदर्श नहीं होने की स्थिति में दस्तावेजात का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.05.2016 के विरूद्ध श्रीमान माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। श्रीमान न्यायालय द्वारा हस्तगत अपील में दिनांक 14.06.2016 को स्थगन आदेश पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति को स्थिगित किया गया तथा उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय को श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की सूचना अपीलांटगण द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए हस्तगत वाद में अंतिम डिक्री दिनांक 14.06.2016 को पारित की गई। हस्तगत वाद में आदेशिका में दिनांक 27.06.2016 को अंतिम निर्णय पारित किया

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया जबकि अंतिम डिक्री 14.06.2016 को पारित की गई। अंतिम निर्णय से पूर्व अंतिम डिक्री जारी किया जाना यह प्रतिवेदित करता है। अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 में अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर जारी किया गया है, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से कोई राजीनामा नहीं किया गया और अभिलेख पर राजीनामे संबंधित कोई दस्तावेजात संलग्न नहीं है। उतरदातागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद में बताया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज पुरूष देरामाराम के दो लड़के थे एक बनाराम व दुसरा लालाराम था तथा इसके आधार पर वादी का अपीलाधीन आराजी में 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा होता है। लेकिन अपीलाधीन आराजी का देरामाराम के नाम से पर्चा लगान जारी नहीं होकर किरता, गोमा, जेठा, ताजा, मोडा व धुड़ा पिता बन्ना, पदमा वल्द लाला कौम जाट सा.देह खातेदार के नाम सीधा पर्चा लगान जारी हुआ तथा इनकी स्वर्जित संपति होने से इस पर पैतृक नियम लागू नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

CIVIL APPEAL NO. 1330 OF 2019 SC
CIVIL APPEAL NO. 5514 OF 2005 SC
RAA BARMER APPEAL NO.102/2018

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मनों पर अपीलांटगण की विधिवत रूप से तामील है। अपीलांटगण कैम्प कोर्ट में हाजिर थे परन्तु अहंकार वश जानबूझकर कैम्प कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को दिनांक 13.05.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार करते हुए उतरदाता संख्या 01 का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा घोषित करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा मौके पर जाकर मौके पर उभयपक्षकारान व सेढापड़ौसियान को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया तथा उभयपक्षकारान सेढा पड़ौसियान के रूबरू मौके पर पैमाईश कर उभयपक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार मौका फर्द तैयार की गई। अपीलांटगण ने बंटवाड़ा में दखल पैदा करने तथा उतरदाता संख्या 01 को न्याय से वंचित करने की नियत से मौका फर्द पर हस्ताक्षर नहीं किये। अपीलांटगण संख्या में अधिक होने व उतरदाता संख्या 01 अकेला वृद्ध व्यक्ति होने के कारण अपीलांटगण संख्याबल का नाजायज फायदा उठाने के लिये हस्तगत अपीलें पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज व तरमीम भी हो गयी है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम दिनांक 08.09.2017 व 14.10.2020 को पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.09.2017 पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा पेश दस्तावेज सुसंगत एवं हस्तगत प्रकरण में निर्णय करने में सहायक नहीं होने से उनको रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित नहीं है। अतः रेस्पोडेंट द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी को खारीज किया जावे। आगे बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 14.10.2020 पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश नियम. 27 सी पी सी के संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने दिनांक 08.09.2017 व 14.10.2020 को पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना–पत्रों के संलग्न दस्तावेजात प्रकरण का अंतिम निर्णय करने में सहायक एवं सुसंगत है। अतः उक्त प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की दिनांक 08.09.2017 व 14.10.2020 को पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस सुनी गई। बहस

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

सुनने एवं उक्त प्रार्थना–पत्रों के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त प्रार्थना–पत्रों के संलग्न दस्तावेजात सुसंगत एवं न्याय करने में सहायक होने से प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.09.2017 व 14.10.2020 को स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात में से क्रमशः 01 से 04 व दिनांक 14.10.2020 को पेश दस्तावेज क्रमांक 04, 05, 07 सुसंगत एवं न्याय तक पहुंचने में सहायक होने से इन्हें रिकॉर्ड पर लेने हेतु अनुज्ञात किया जाता है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली की सुनवाई हेतु तारीख 23.08.2016 को नियत की गई थी, साथ ही श्रीमान न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब करने का आदेश पारित किया गया तथा अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पूछताछ करने पर कर्मचारियों ने बताया कि उक्त प्रकरण की पत्रावली अपीलीय न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है, जहां से पत्रावली के लौटने पर आगामी तारीख पेशी दी जा सकेगी, जिस पर अपीलांटगण ने विश्वास कर लिया तथा दिनांक 11.04.2017 को श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी होने से अपील का कोई औचित्य नहीं होने से का कारण अंकित करते हुए अपील खारिज की तब अपीलांटगण ने आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 13.04.2017 को प्राप्त की तो अपीलांटगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का <u>उचित व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है</u> जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील पेश करने में हुऐ विलंब के बारे में मनगढत व झूठे तथ्य अंकित किये है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2011(2) Page 851
RRT 2010(2) Page 801

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांटगण द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है फिर भी न्यायहित में हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.05.2016 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जो न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 11.04.2017 को अस्वीकार की गई जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गई जिसमें माननीय मण्डल द्वारा प्रकरण को अपीलीय न्यायालय को रिमाण्ड करते हुए बाद सुनवाई निर्णय पारित करने के निर्देश प्राप्त हुए। न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांटगण द्वारा अंतिम डिक्री के विरूद्ध 18.04.2017 को पेश की गई जो दिनांक 29.11.2018 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिसे दिनांक 23.09.2020 को स्वीकार कर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण करने का अवसर देते हुए अंतिम डिक्री की अपील को नंबर पर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। इन पर दो बार सम्मनों की सम्यक तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम कैम्प कोर्ट के सम्मनो पर सम्यक तामील होने के बावजूद भी कैम्प कोर्ट में वे हाजिर नहीं आये। प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.05.2016 की पालना में पूर्व सूचना मुताबिक तहसीलदार बाड़मेर स्वयं ने मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में स्थायी आलामात/कब्जा/काश्त को ध्यान में रखते हुए बनाया गया तथा अपीलांटगण ने मौके पर हाजिर होने के बावजूद भी मौका फर्द पर <u>हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करने से इंकार किया प्रतिवेदित है।</u> रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 12.12.2014 में प्रतिवादी संख्या 14 से 16 ने वादग्रस्त आराजी में स्वयं <u>अपना हिस्सा 1/12 स्वीकार</u> किया है। <u>स्वीकारोक्ति सबसे पुष्ट, विश्वसनीय एवं अकाट्य सबूत है।</u> अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रसर होते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। वक्त सेटलमेंट दो सगे भाईयों बन्ना व लाला के पुत्रों के नाम पर्चा लगान जारी हुआ। वे दोनों पृथक–पृथक ढाणियां बनाकर अपने–अपने परिवार के साथ रहते थे जिसकी पुष्टि राजस्व रिकॉर्ड एवं अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात करते है। इसके आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01 (वादी) का 1/2 हिस्सा साबित मानते हुए अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय ने आलोच्य डिक्री/निर्णय पारित किये है जो सबूतों पर आधारित है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहक परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अवसर के बावजूद वाद में साक्ष्य पेश नहीं करना, अपील में विलंब, अपील का अदम पैरवी में खारिज होना तथा मौके पर उपस्थिति के बावजूद भी विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करके **अनापत्ति प्रकट करना इत्यादि** अपीलांट पक्ष की अरूचि एवं उपेक्षा दर्शाता है। **अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 125/2015 बअनवान रामाराम बनाम मानाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05.2016 व 27.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर